

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश
लोक निर्माण विभाग, (भवन वर्ग)
निर्माण भवन, 96 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक:-294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023

दि0 : 26/10/2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण द्वारा भवन कार्यों हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन Plinth Area Rates, Schedule of Rates (DSR), Specifications, Analysis of Rates इत्यादि को कार्यालय ज्ञाप सं0-272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023 दि0 10.10.2023 द्वारा अंगीकृत करते हुए प्रख्यापित किया गया था।

उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने के उपरान्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-133/एसई(टीएसी)/डीएसआर/2023/866हि0 दि0 13.10.2023 के अनुसार CPWD-DSR-2023 & DAR-2023 को दि0 16.10.2023 से प्रभावी किया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत DSR (Civil) -2023 एवं DAR (Civil) -2023 को दिल्ली में दि0 01.04.2023 से लागू Cost Index-107 जो कि दि0 01.04.2021 को Base-100 Cost Index पर आधारित है एवं GST की बढ़ी हुई (18% - 12% = 6%) दरों को समाहित करते हुए निर्गत किया गया है।


कार्यालय ज्ञाप दि0 10.10.2023 के बिन्दु सं0-4 के अनुसार "स्रोत पर किसी प्रकार के परिवर्तन को तदनुसार स्वतः उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में लागू माना जायेगा।" अतः इस स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भवन कार्यों हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0-272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023 दि0 10.10.2023 द्वारा प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत तालिका-2 के बिन्दु सं0-(2) में DSR (Civil) -2021 के स्थान पर DSR (Civil) -2023 को निम्न संशोधन के साथ प्रयोग किया जायेगा:-

तालिका-2

S.No	Description of item	Base Cost Index	Stipulations	GST Factor	Calculation	Bare Rate Factor without cost index
2	CPWD Delhi Schedule of Rates (Civil) Vol-I and II (2023)	107	CPWD Plinth area Rates (-) 1% labour cess, (-) 21.27% GST factor included in Rates, (-) 10% (+) Prevailing District Cost Index issued by UPPWD	21.27 % for 18% GST	$\frac{((100/1.01)/1.2127) \times 90}{100} = 0.735$	0.735

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दि0 10.10.2023 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं जो तत्काल प्रभावी होंगे।


(जितेन्द्र कुमार बांगा)
मुख्य अभियन्ता (भवन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक:- कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023

दि0 : /10/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 2- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।



- 3- प्रमुख सचिव, नगर विकास उ०प्र० शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनु०-5 एवं 9 उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/ (परि०/नियो०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 7- प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, बजट 'ख' वर्ग, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 8- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 10- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा डेवलेपमेन्ट ऑथोरिटी, नोयडा।
- 11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा डेवलेपमेन्ट ऑथोरिटी, ग्रेटर नोयडा।
- 12- निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 13- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 14- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, लिमिटेड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 15- निदेशक, सी० एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम लिखनऊ।
- 16- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लखनऊ।
- 17- निदेशक, ग्लोबल सेल आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 18- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०।
- 19- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०।
- 20- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
- 21- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), नियोजन विभाग, लखनऊ।
- 22- मुख्य अभियन्ता (वि०/यॉ०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 23- मुख्य वास्तुविद्, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 24- निदेशक, रिसर्च एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 25- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, समस्त क्षेत्र, लो०नि०वि० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को अपने स्तर से इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 26- अधीक्षण अभियन्ता, दशम् वृत्त/39वें वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 27- नोडल अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ/आगरा/बरेली/लखनऊ/झांसी/गोरखपुर/वाराणसी/प्रयागराज/17वें (वि०/यॉ०)/44वें (वि०/यॉ०)/47वें(वि०/यॉ०) वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ/आगरा/ बरेली/लखनऊ/झांसी/गोरखपुर/वाराणसी/प्रयागराज/ ।
- 28- वेब ऑफीसर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त को (समस्त अभिलेखों सहित) उ०प्र० लो०नि०वि० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता (भवन),
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ०प्र०
 लो०नि०वि०, लखनऊ

Example for Lucknow Distt. using CPWD Delhi Schedule of Rates -2023

Sl.No.	Description of Items	Unit	Rate	Calculation	Bare Rate
(1) Example for CPWD DSR-2023					
1	CPWD DSR- 2023				
1.1	5.1 Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level :				
1.1.1	5.1.2 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone- III) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources) as per table-2 bare rate Factor= 0.735	per Cum	9045.75	9045.75 x 0.735	6648.63
A	Total				6648.63
2	Add Distt. Cost Index for Lucknow (115) and Base cost index for CPWD DSR-2023 is (107)			(6648.63 x 115/107)- 6648.63	497.09
B	Total				7145.72

Note- 1. GST shall be paid extra as per applicable Government Rule
2. Labour Cess shall be paid extra as per applicable Government Rule

* उपरोक्त उदारण कार्यालय झाप -272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023 दि0 10.10.2023 के संलग्नक 1/2 के उदारण संख्या-2 को प्रतिस्थापित करेगा।

Vijay Kumar
JEL